

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी :- श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 31/2020

GCMS No.2020/00099

अनवान :-

श्री महेश कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

-: बनाम :-

श्री जगदीश सारण पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट (विक्रेता मालिक) मैसर्स सहारण किराना स्टोर मैन बाजार अर्जुनसर लूणकरणसर बीकानेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :-

- 1- प्रार्थी पक्ष - श्री महेश कुमार शर्मा खा.सु.अ.  
2- अप्रार्थी की ओर से - अप्रार्थी स्वयं

-: निर्णय :-

दिनांक 23.09.2020

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महेश कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 14.11.2019 को अप्रार्थीपक्ष श्री जगदीश सारण पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट (विक्रेता मालिक)मैसर्स सहारण किराना स्टोर मैन बाजार अर्जुनसर लूणकरणसर जिला बीकानेर के यहां दुकान पर आम जनता को खाद्य पदार्थ दाल, चीनी, मिर्च, घी, चाय (नीरज ब्राण्ड) आदि बेच रहे थे। निरीक्षण दौरान जहां दुकान में रखे चाय (नीरज ब्राण्ड) के 250-250 ग्राम के लगभग 40 पैकेट शोकेस में विक्रय वास्ते रखे हुवे थे। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य पदार्थ चाय (नीरज ब्राण्ड) पैकेटों में से 8 पैकेट प्रत्येक 250-250 ग्राम चाय (नीरज ब्राण्ड) नमूना हेतु संग्रह कर उनके द्वारा बताये अनुसार रुपये 360/- में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी, विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में क्रय किये गये खाद्य पदार्थ चाय (नीरज ब्राण्ड) के 8 पैकेट दो-दो चार अलग-अलग डिब्बों में रख कर पैक किये तथा चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर के कोड एवं क्रमांक जे-1724 लिखा व अन्य विवरण अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं प्रार्थी ने किये। उक्त तैयार लेबल में से एक-एक लेबल प्रत्येक नमूना थैली पर गौंद से चिपकाया व नियमानुसार चपड़ी से सील मोहर किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, गवाहों एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे विक्रेता व गवाहों ने पढ़कर, सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। उक्त पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.



अति. जिला कलक्टर  
(प्रशासन). बीकानेर

जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिपोर्ट LS.2919/Act/ 2019/2457 दिनांक 09.12.2019 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ चाय (नीरज ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (नीरज ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आकर जवाब पेश किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ चाय (नीरज ब्राण्ड) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में The sample of "Tea (Neeraj Brand)" bearing Code No. and Sr. No. J-1724 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.1(7), 2.2.2(8),2.2.2(9) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ चाय (नीरज ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया है कि प्रार्थी के किराणा स्टोर द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (नीरज ब्राण्ड) पैकेट मिसब्राण्ड स्तर का विक्रय किया जाना बताया गया है वो चाय पैकेट प्रार्थी के किराणा स्टोर द्वारा सैम्पल के तौर पर मार्केटिंग के उद्देश्य से निशुल्क लिया गया था ना कि चाय पैकेट (नीरज ब्राण्ड) विक्रय के तौर पर लिया गया था, जो भी पैकेट चाय के प्रार्थी के पास थे उसमें प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की तब्दीली नहीं की गई थी। अतः प्रार्थी के विरुद्ध जो भी कार्यवाही की गई हो उसे निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करे। उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी की कोई भूमिका नहीं है।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये खाद्य पदार्थ चाय (नीरज ब्राण्ड) की सैम्पलिंग रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ चाय (नीरज ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर



॥  
अति. जिला कलेक्टर  
(प्रशासन), बीकानेर

की रिपोर्ट क्रमांक LS.2919/Act/ 2019/2457 दिनांक 09.12.2019 की रिपोर्ट संलग्न है। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में The sample of "Tea (Neeraj Brand)" bearing Code No. and Sr. No. J-1724 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.1(7), 2.2.2(8),2.2.2(9) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ चाय (नीरज ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत रु. 20,000/- अखरे रूपये बीस हजार मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

6. इसके साथ-साथ अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 23.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थीपक्ष को जरिये रजिस्टर्ड डाक पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।



( ए.स्व.गौरी )  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) बीकानेर  
(प्रशासन), बीकानेर